

# उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) कार्यपालक समिति की दिनांक 07.03.2019 को आयोजित प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की प्रथम बैठक दिनांक 07.03.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (वन बल के प्रमुख)/अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है (संलग्नक-1)।

सर्वप्रथम, सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित एजेंडा बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

**एजेण्डा बिन्दु-1:-** CAF Act 2016 लागू होने की तिथि (दिनांक 30.09.2018) से पूर्व दिनांक 27.09.2018 को आहुत उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की 40वीं बैठक दिनांक 27.09.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**एजेण्डा बिन्दु-2 :-** CAF Act 2016/CAF Rules 2018 के सम्बन्ध में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों/नियमावली एवं उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया जाना।

CAF Act 2016/CAF Rules 2018 के सम्बन्ध में भारत सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश/नियमावली, निर्देशिका एवं तत्सम्बन्ध में अन्य आदेशों से समिति अवगत हुयी।

**एजेण्डा बिन्दु-3 :-** उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2019-20 की वार्षिक प्रचालन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2019-20 की रु0 29500.00 लाख की वार्षिक प्रचालन योजना के प्रस्ताव को कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में उ0प्र0 कैम्पा द्वारा कराये गये वृक्षारोपणों के अनुश्रवण में रिमोट सेंसिंग प्रणाली का भी प्रयोग किया जाए।

**एजेण्डा बिन्दु-4 :-** वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित क्षतिपूरक एवं गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भौतिक लक्ष्यों में परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति द्वारा वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत सीए मद में क्षतिपूरक वनीकरण एवं अनुरक्षण तथा एनपीवी मद में गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु किये गये संशोधन एवं तदानुसार कार्य कराये जाने का कार्यापरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु-5 :-** उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ०प्र० कैम्पा) के संचालन एवं प्राधिकरण की अभिचालन समिति (Steering Committee) तथा कार्यपालक समिति (Executive Committee) को सहयोग प्रदान करने हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से समिति को अवगत कराया जाना।

उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ०प्र० कैम्पा) के संचालन एवं प्राधिकरण की अभिचालन समिति (Steering Committee) तथा कार्यपालक समिति (Executive Committee) को सहयोग प्रदान करने हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से समिति अवगत हुयी।

**एजेण्डा बिन्दु-6 :-** अपर प्रधान मुख्य वन संक्षक, परियोजना, उ०प्र०, लखनऊ का पत्र संख्या—45 / टी०सी० (जायका) दिनांक 30.12.2018 से प्रबन्ध इकाई के आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के माह जुलाई 2018 एवं माह अगस्त 2018 के पारिश्रमिक का भुगतान रु० 15.55373 लाख की कार्योपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना तथा माह सितम्बर 2018 के पारिश्रमिक रु० 6.7765 लाख के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना की प्रबन्ध इकाई हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के माह जुलाई 2018 एवं माह अगस्त 2018 के पारिश्रमिक का भुगतान रु० 15.55373 लाख की कार्योपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति कार्यपालक समिति द्वारा प्रदान की गयी।

कार्यपालक समिति द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना की प्रबन्ध इकाई हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के माह सितम्बर 2018 के पारिश्रमिक रु० 6.7765 लाख के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु-7 :-** उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रचालन योजना के एन०पी०वी० मद के वन एवं वन्यजीव सुरक्षा मद अन्तर्गत अग्रपंक्ति कार्मिकों हेतु चार पहिया वाहनों के क्रय का Gem Portal पर उपलब्ध दरों के आधार पर किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

कार्यपालक समिति द्वारा उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रचालन योजना के एन०पी०वी० मद के वन एवं वन्यजीव सुरक्षा मद अन्तर्गत अग्रपंक्ति कार्मिकों हेतु चार पहिया वाहनों का Gem Portal पर उपलब्ध दरों के आधार पर क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया गया :—

- व्यय प्रबन्धन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्यता हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 18.09.2018 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जाए।
- उक्त वाहनों के क्रय हेतु वार्षिक प्रचालन योजना वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रु० 300.00 लाख के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए Four Wheel Drive एवं Two Wheel Drive के समानुपातिक रूप से (50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत) नियमानुसार क्रय किया जाए।


**एजेण्डा बिन्दु-8:-** विभिन्न कार्यालयों द्वारा की गयी मांग के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कैम्पा द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को रखे जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया जाना।

विभिन्न कार्यालयों द्वारा की गयी मांग के परिपेक्ष्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

### अन्य एजेण्डा बिन्दुः—

उ0प्र० कैम्पा कार्यपालक समिति द्वारा प्रशासनिक व्यय मद के अधीन प्राविधानित धनराशि रु0 29.00 लाख के अन्तर्गत Gem Portal के माध्यम से GPS क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
और विभागाध्यक्ष, उ0प्र०  
लखनऊ


  
(सुनील कुमार दूबे)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव—कार्यकारिणी समिति  
(उ0प्र० कैम्पा), लखनऊ

पत्रांक— ०६ /२-३७-२ (कार्यपालक समिति-०१) दिनांक मार्च: ०७ : २०१९

प्रतिलिपि— उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जनजातीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र० शासन, लखनऊ।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख), उ0प्र०, लखनऊ।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र०, लखनऊ।
12. मुख्य वन संरक्षक, इकोडेवलेपमेंट, उ0प्र०, लखनऊ।
13. मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धनिक, दक्षिणी क्षेत्र कानपुर
14. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र०, लखनऊ।
15. श्री आलोक अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र०, लखनऊ।
16. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (C.E.E), उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 83 बाल विहार कालोनी, पिकनिक रॉपॉट रोड, फरीदी नगर, लखनऊ (गैर—सरकारी संगठन)।
17. टर्टल सर्वाइल एलाएन्स (T.S.A) डी १/३१७, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ (गैर—सरकारी संगठन)।
18. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकुट (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
19. श्री जागन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
20. श्री धनीराम, ग्राम भुसहर ऊँचवा, पोस्ट परसरामपुर, रजेहना, तुलसीपुर, बलरामपुर (आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि)।

  
(सुनील कुमार दूबे)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव—कार्यकारिणी समिति  
(उ0प्र० कैम्पा), लखनऊ